

14/12/2022

पत्रांक पेश हुई। वकील वादी डफ.। वादी
वकील द्वारा तलबी हेतु अवमल
चाहा। पूर्व में अनेक अवमल दिए
जा चुके हैं। अब अवमल दिए
जा उपरि नहीं। वादी द्वारा अतिरिक्त
रकम तलबाना/राममान पेश नहीं
दिए। अतः वादी का दावा आदेश
9 नियम 5 के तहत खारिज किया
जाता है।

पत्रावली कुल सुमार होकर
नम्बर से क्रम की जाकर दाखिल
कराए हैं।

